



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2016/चैत्र 8, 1938

No. 748]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2016/CHAITRA 8, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2016

का.आ. 1219(अ).—यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में सिपकांट इण्डस्ट्रियल एरिया, श्रीपेरुम्बदूर में व्यापार एवं सम्भार तंत्र कार्यकलापों सहित इलैक्ट्रानिक्स/दूरसंचार हार्डवेयर एवं सहायक सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2141(अ) दिनांक 22 दिसंबर, 2006, का.आ. 1308(अ) दिनांक 31 जुलाई, 2007 एवं का.आ. 677(अ) दिनांक 02 मार्च, 2015 द्वारा तमिलनाडु राज्य में सिपकांट इण्डस्ट्रियल एरिया, श्रीपेरुम्बदूर में 189.77.1 एवं 41.36.9 हेक्टेयर के क्षेत्र के अधिसूचित एवं 11.83.20 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 23.75.0 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके दिनांक 22 फरवरी, 2016 के पत्र सं.2495/एम.आई.ई.2/2016-1 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 23.75.0 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबन्धित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में

23.75.0 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से **अनधिसूचित करती है**, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र **195.55.8 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

तालिका

क्रम संख्या	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	थिरूमंगाडु	5 पार्ट	0.660
2.		6 पार्ट	0.820
3.		135 पार्ट	0.700
4.		136 पार्ट	4.265
5.		137	1.640
6.		138	1.145
7.		139 पार्ट	0.787
8.		150 पार्ट	0.420
9.		151 पार्ट	1.156
10.		152 पार्ट	0.530
11.		153 पार्ट	2.098
12.		154 पार्ट	0.586
13.		155 पार्ट	1.309
14.		156 पार्ट	0.120
15.		157 पार्ट	0.750
16.	थिरूमंगलम	351 पार्ट	1.620
17.		352	0.670
18.		353 पार्ट	0.565
19.		354 पार्ट	1.642
20.		355 पार्ट	0.717
21.		356 पार्ट	1.550
कुल			23.75.0 हेक्टेयर
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			195.55.8 हेक्टेयर

[फा. सं. एफ.2/146/2006-एसईजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2016

S.O. 1219(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Electronics/Telecom Hardware and support services including trading and logistics activities at SIPCOT Industrial Area, Sriperumbudur in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 189.77.1 , 41.36.9 hectares and de-notified 11.83.2 hectares at SIPCOT Industrial Area, Sriperumbudur in the State of Tamil Nadu from Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Numbers S.O. 2141 (E) , 1308 (E) and 677 (E) dated 22nd December, 2006 , 31st July, 2007 and 02nd March, 2015 respectively;

And, whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu has now proposed for de-notification of 23.75.0 hectares at the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Tamil Nadu has given its “No Objection” to the proposal vide letter No. 2495/MIE.2/2016-1 dated 22nd February, 2016;

And, whereas, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 23.75.0 hectares of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 23.75.0 hectares**, thereby making resultant area as **195.55.8 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of the Village	Survey No.	Area to de-notified (in Hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sirumangadu	5 Part	0.660
2.		6 Part	0.820
3.		135Part	0.700
4.		136 Part	4.265
5.		137	1.640
6.		138	1.145
7.		139 Part	0.787
8.		150 Part	0.420
9.		151 Part	1.156
10.		152 Part	0.530
11.		153 Part	2.098
12.		154 Part	0.586
13.		155 Part	1.309
14.		156 Part	0.120
15.		157 Part	0.750
16.	Thrumangalam	351 Part	1.620
17.		352	0.670
18.		353 Part	0.565
19.		354 Part	1.642
20.		355 Part	0.717
21.		356 Part	1.550
Total			23.75.0 hectares
Total Area of SEZ after above deletion			195.55.8 hectares

[F. No. F.2/146/2006-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.